कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् सुनीता कुमारी व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राजकीय सिंधि उमावि फतेहटीब्बा ,जयपुर का स्थानांतरण राउमावि बामनहेडा, जवाजा अजमेर किया गया। सुनीता कुमारी ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3780/2019 सुनीता कुमारी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की। उक्त अपील में माननीय अधिकरण के आदेश की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभागीय दिशा निर्देशों के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19–20 दिनांक 26.11.2019 द्वारा खारिज कर निस्तारित किया जा चुका है। अपीलार्थी ने पुनः अपने स्थानांतरण के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 783/2020 सुनीता कुमारी बनाम निदेशक व अन्य दायर की।

अपील संख्या 783/2020 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2020 द्वारा अपीलार्थी सुनीता कुमारी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को सक्षम अधिकारी द्वारा उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह तथा पंचायत राज चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां पर आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के 15 दिवस की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी सुनीता कुमारी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने पति के जयपुर में कार्यरत होने, स्थानांतरित स्थान 250 किमी दूर होने, प्रथम नियुक्ति से निरंतर 11 वर्षों तक ग्रामीण सेवा में कार्यरत रहने एव वृद्व सास–ससुर तथा बच्चों के जयपुर में अध्ययनरत होने के आधार पर अपना पदस्थापन जयपुर शहर एवं उसके आसपास स्थित किसी विधालय में रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ह्रदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 21.10.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण अभ्यावेदन/सुनीता/783/2020 दिनांकः 12/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
3.संबंधित संस्थाप्रधान.................।
3. संबंधित कार्मिक.......................।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर